संख्या-11/2020/ 20 /क.नि.प्र./26-3-2020-18(12)2018

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 12 फरवरी,2020
समाज कल्याण विभाग

विषय:- अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु बैंकिंग सुविधा प्रदाता(बिजनेस करेसपोन्डेण्ट) की योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-2275/2019-20/योजना/बी.सी. दिनांक 03 जनवरी,2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु बैंकिंग सुविधा प्रदाता (बिजनेस करेसपोन्डेण्ट) की योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 4,25,00,000/- (रू0 चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवश्यकतानुसार आवंटित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी.एल.ए./ डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीकृत की जा रही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

3. प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी और व्यय की गयी धनराशि तथा लाभार्थियों की सूची आदि के संबंध में अन्य विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और किसी भी अन्य मद में धनराशि का उपभोग शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।
5. उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0123-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित बैंकिंग सुविधा प्रदाता योजना(के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी.एम. 9 पार्ट-1 के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत होने वाली बचतों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4/51/दस-2020 दिनांक 05 फरवरी,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ. संख्या-11/2020/ 20 (1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ.प्र. प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4. वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/ वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ.प्र.शासन।
5. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी0एम0–9(पार्ट–1)

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ– बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) वित्तीय वर्ष 2019–20 (धनराशि लाख रूपये में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संकमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संकमण के पश्चात् अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0106–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्व रोजगार योजनाओं में अनुदान(100 प्रतिशत भारत सरकार)– 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)" | 10000.00 | 10000.00 | 425.00 | 425.00 | 9575.00 |
| योग | | | | | |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि | संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+10) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0123– उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित बैकिंग सुविधा प्रदाता योजना(के.100/रा.0–के.), 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)" | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
| योग | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |

1.स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मद में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

2.स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय अपरिहार्यता के दृष्टिगत आवश्यक है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0– 317 /दस–2020 –

दिनांक: 04 ~~जनवरी~~ फरवरी,2020

सेवा में,

महालेखाकार

(लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(डा. रमेश चन्द्र तिवारी)

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

(केशव प्रसाद)

संयुक्त सचिव,

वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–[illegible] (1)/क0नि0प्र0/26–3–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0प्रयागराज।
2– कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,महानगर,लखनऊ।
4– वित्त(वित्त नियंन्त्रण) अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
7– सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।
8– बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश शासन।
9– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर।

आज्ञा से,

(डा. रमेश चन्द्र तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।